-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **क्षेत्राधिकारी अतर्रा की अध्यक्षता में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज में चलाया गया वृहद जागरुकता अभियान। मिशन शक्ति अभियान के क्रम में छात्राओं को उनकी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कानून, सहायता सेवाओं, साइबर अपराधों, यातायात नियमों व सुरक्षित यात्रा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देकर किया गया जागरुक।**

विवरण- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति 6.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सघन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 26.11.2026 को क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री अमरनाथ गुप्ता की अध्यक्षता में थाना कोतवाली नगर, साइबर क्राइम पुलिस थाना एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित राजकीय बालिका कॉलेज में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को जागरुक किया गया। इस दौरान छात्राओं को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, सहायता सेवाओं, महिला अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों, हेल्पलाइन नम्बरों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति अभियान/कार्यक्रम- इसके क्रम में छात्राओं को बताया गया कि सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं और सुविधाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ पात्र महिलाएं एवं बालिकाएं उठा सकती हैं। साथ ही इन योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं संबंधित विभागों की भूमिका के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों जैसे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, साइबर अपराध, मानव तस्करी एवं बाल विवाह आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया साथ ही इन अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी के साथ-साथ संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 112 – आपातकालीन पुलिस सहाय, 1090 – महिला पावर लाइन (उत्तर प्रदेश), 181 – महिला हेल्पलाइन, 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 – साइबर/वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत हेतु आदि विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में भी बताया गया।

साइबर अपराध- साइबर टीम द्वारा वर्तमान में आधुनिक तरीकों से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर टीम द्वारा बताया कि वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। जहां इन सुविधाओं ने आमजन के जीवन को सरल एवं सुविधाजनक बनाया है, वहीं साइबर अपराधियों द्वारा इन तकनीकों का दुरुपयोग कर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। साइबर अपराधी नए-नए तरीके अपनाकर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग विवरण एवं गोपनीय डाटा प्राप्त कर उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे- केवाईसी (KYC) अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, ओटीपी (OTP) फ्रॉड: साइबर अपराधी बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर कर्मचारी अथवा किसी परिचित व्यक्ति के रूप में कॉल या मैसेज करके उपयोगकर्ताओं से ओटीपी मांगना, यूपीआई स्कैम (UPI Scam): जिसमें साइबर अपराधी फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट, नकली क्यूआर कोड, भुगतान प्राप्त करने के नाम पर भेजे गए रिक्वेस्ट लिंक भेजना, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग एवं फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को परेशान करना तथा उसके परिचितों एवं

रिश्तेदारों से पैसों की मांग करना एवं उनकी निजी तस्वीरें एवं संवेदनशील सामग्री सोशली मीडिया में प्रसारित करना, फर्जी कॉल एवं डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, फर्जी जॉब एवं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी, फिशिंग लिंक एवं मैलवेयर के माध्यम से ठगी जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा बैंक, सरकारी विभाग, ई-कॉमर्स वेबसाइट एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम से मिलते-जुलते फर्जी मैसेज एवं लिंक भेजना, साइबर बुलिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न: छात्राओं को सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करने, अश्लील संदेश भेजने, किसी की फोटो का गलत इस्तेमाल करने, ऑनलाइन धमकी देने एवं निजी जानकारी सार्वजनिक करने जैसी घटनाओं के प्रति भी जागरूक किया गया तथा बताया गया कि ऐसी परिस्थितियों में डरने या चुप रहने के बजाय संबंधित साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए तथा पुलिस एवं साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई साथ ही डिजिटल सुरक्षा के लिए सावधानियां अपनाने की सलाह दी गई एवं साइबर अपराध होने पर घबराने के बजाय तत्काल राष्ट्रीय साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं तथा किसी भी आपात स्थिति में डायल यूपी-112 पर तत्काल पुलिस सहायता के लिए संपर्क करें।

यातायात जागरुकता- सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने के हेतु यातायात पुलिस द्वारा छात्राओं को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा के उपायों तथा वाहन चलाते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिसमें ट्रैफिक संकेतों एवं नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की अनिवार्यता तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों, ओवर स्पीडिंग, मोबाइल फोन के प्रयोग, गलत दिशा में वाहन चलाने के खतरों आदि के बारे में अवगत कराया गया साथ ही यात्रा करते समय महिलाओं को बरती जाने वाली सावधानियों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें महिलाओं/बालिकाओं को यात्रा के लिए यथासंभव सुरक्षित एवं अधिकृत सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करनें,ऑटो, टैक्सी अथवा कैब में बैठने से पहले वाहन का नंबर एवं चालक की जानकारी परिजनों के साथ साझा करनें,यात्रा के दौरान अपने मोबाइल फोन में लोकेशन शेयरिंग की सुविधा का उपयोग करने, सुनसान एवं अंधेरे रास्तों से अकेले यात्रा करने से बचें तथा संभव हो तो परिचित एवं सुरक्षित मार्ग का चयन करने,किसी अनजान व्यक्ति से खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ स्वीकार न करने की सलाह दी गई तथा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असहज स्थिति, छेड़छाड़ या संदिग्ध गतिविधि होने पर तत्काल सहायता प्राप्त करने को हेतु अपने मोबाइल फोन को चार्ज तथा आवश्यक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर सुरक्षित रखने हेतु बताया गया। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई तथा यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति को नजरअंदाज न करने के प्रति जागरुक किया गया। साथ ही छात्राओं को यातायात नियमों का स्वयं पालन करने तथा अपने परिवार, मित्रों एवं समाज के अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।